संख्याः1211 /XXIV-3/17/02(65)2015

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 07 दिसम्बर, 2017

विषयः– रमसा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा योजना (IEDSS) के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के अवशेष राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः रा0मा0शि0अ0/**53**(V)/2017–18, दिनांकः 27 मई, 2017 तथा पत्रांकः अर्थ–1/15482/5क(01)/09/2017–18, दिनांकः 28 अगस्त, 2017 एवं अपर राज्य परियोजना निदेशक, रमसा के पत्रांकः रा0मा0शि0अ0/2041–42/**53**(V)/2017–18, दिनांकः 19 अगस्त, 2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा योजना **(Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage)** के लिए वर्ष 2015–16 से योजना 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश एवं राज्यांश होने के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत कुल केन्द्रांश ₹ 29.67 लाख के सापेक्ष ₹ 3.30 लाख की राज्यांश की धनराशि संलग्न **परिशिष्ट–'अ'** की तालिका के अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षकों की मानक मदों में चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके निवर्तन पर रखते हुये नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। निर्माण कार्यों के संबंध में विस्तृत आगणनों का सक्षम/निर्धारित स्तर से परीक्षण कराकर तकनीकी व वित्तीय अनुमोदनोपरांत ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली के सुसंगत नियमों की अनुपालन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित की जाय तथा कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया गया हो।

2. यह सुनिश्यित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त की गई हो।

3. मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/**XIV**–219(2006), दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

5. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण कर धनराशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त पत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार आहरित क व्यय की जायेगी तथा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप अनुमन्य मदों पर किया जायेगा।

8. निर्माण कार्य पूर्व से निर्मित भवन के साथ जोड़ कर किये जाये, ताकि स्पेस यूटिलाइजेशन proper हो। संभवतः extra/additional classroom existing building को छोड़कर बनाये जा रहे हैं, जिससे space waste हो रहा है और दीवार का extra व्यय भार हो रहा है। कोई भी additional classroom existing building के साथ ही किये जाये, एक ही कॉम्पैक्ट ब्लॉक में और available space खेल मैदान हेतु उपयोग की जाये।

9. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150) XXVII(1)2017 दिनांकः 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत की जाने वाली धनराशि से आंगणन में प्राविधानित समस्त कार्यों को पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार/स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा, 02– माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 89(म0)/XXVII(3)/2017-18, दिनांकः 23 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1211 /XXIV-3/17/02(65)2015, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, (ऑडिट) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अनु सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3– राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
6– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23– लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी)
अनु सचिव।

'परिशिष्ट–अ'

शासनादेश संख्या:1211 /XXIV-3/17/02(65)2015, दिनांक:7 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2017 का संलग्नक:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	राज्यांश
1.	11	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0103–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA 90 प्रति.के.स.)	20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	2.53
2.	30	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	0.66
3.	31	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 800–अन्य व्यय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	0.11
	योग			3.30

कुल धनराशि ₹ 3.30 लाख (रूपये तीन लाख तीस हजार मात्र)

(मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी)
अनु सचिव।